फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

बनाम

111-127 वाद / प्रा0प0 / अपील 10/18 प्र0सं0 /15

वाद जॉच वाद / प्रा0प0 / अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रकियानुसार विपक्षीगणो / अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना जारी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 28.2.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

28.2.18 पत्रावली पेश हुई। [illegible] प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण के [illegible] तामील / [illegible] तामील प्राप्त नहीं हुये। P.O. [illegible] [illegible] [illegible] वास्ते विपक्षीगण के [illegible] पत्रावली दिनांक 28-3-18 को पेश हो। B.O.

28.3.18 पत्रावली पेश उभयपक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी जी [illegible] है। पत्रावली दिनांक 25.4.18 को पेश हो।
आदेश से रीडर

5.6.18 पत्रावली लोक अदालत [illegible] पर पेश। [illegible] [illegible] [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर रजिस्टर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला–भीलवाड़ा
न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प देवली

पीठासीन अधिकारी:–रामावतार मीणा (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या:– 10/18

1. श्रीमति भगवती देवी पत्नी श्री रामेश्वर लाल जाट निवासी राजोरा तहसील हमीरगढ

––प्रार्थीगण

बनाम

1. छेबी लाल पुत्र श्री मेघा भील जाति भील निवासी– उण्डवा तहसील गंगरार
2. श्रीमति कमला देवी पत्नी श्री रामनिवासी भांबी निवासी– भैंसाकुण्डल
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदारी साहब हमीरगढ

––विपक्षीगण

––––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: दिनांक:– 05/06/2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प देवली पर पेश प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद भैंसाकुण्डल पटवार हल्का देवली तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1065/1, 1061/1 कुल किता 2 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान फरमाये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थता पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19/01/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की *न्यायिक* सिंध्दान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर मैसाकुण्डल पटवार हल्का देवली की आराजी नम्बर 1065/1, 1061/1 कुल किता 2 रकबा 05 ...घा 02 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का ...देश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक मंगरोप को 600/–रू0 (अक्षरे– छः ...सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा ...रावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये ...खते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं ...की जावें।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

...तिलिपि– तहसीलदार, हमीरगढ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ